ईट भट्टा सीजन वर्ष 2014-2015 ( दिनांक 01-10-2014 से दिनांक 30-09-2015 तक) हेतु ईंट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में निर्देश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2014-2015 में दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2015 तक की अवधि में निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेष कर के विकल्प में एकमुष्त धनराषि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती हैः-

(1) सीजन वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.10.2014 से 30.9.2015 तक) की अवधि के लिये समाधान राशि सीजन वर्ष 2013-14 की अवधि के लिये निर्धारित समाधान राशियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात् विभिन्न पायों के भट्टों के लिये निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित कर दी जाय।

(2) कतिपय ईंट भट्टो में फुकाई षीघ्र पूरी किये जाने के उद्देष्य से हाई ड्राट तकनीक भी लगायी जाती है। हाई ड्राट भट्ठों के लिए समाधान राषि, नाॅन हाई ड्राट भट्टों के लिए निर्धारित समाधान राषि से 10 प्रतिषत अधिक होगी।

(3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि निर्धारित समाधान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रूप में समाधान योजना अपनाने के लिये तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(4) सीजन वर्श 2014-15 की समाधान योजना हेतु नियत समाधान राषि के 20 प्रतिषत के बराबर समाधान राषि के जमा करने के प्रमाण के साथ प्रार्थना-पत्र व्यापारी द्वारा दिनांक 30.11.2014 तक प्रस्तुत किया जायेगा। देय सम्पूर्ण समाधान

https://shasanadesh.up.nic.in

राषि का क्रमषः 20 प्रतिषत भाग दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 तक, 20 प्रतिषत भाग दिनंाक 20 जनवरी, 2015 तक, 20 प्रतिशत भाग दिनांक 20 फरवरी, 2015 तक, 10 प्रतिशत भाग दिनांक 20 मार्च, 2015 तक एवं 10 प्रतिषत भाग दिनंाक 20 अप्रैल, 2015 तक जमा किया जायेगा। उक्तानुसार निर्धारित किश्तंे निर्धारित समय तक नहीं जमा करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

(5) उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् यदि 15 दिन के अंदर इस अवधि के लिए देय समाधान राषि 15 प्रतिषत वार्शिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। उक्त दोनों समय सीमा के बाद राजस्व हित में समाधान योजना का विकल्प देने के लिये अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार, इस अवधि के लिये देय समाधान राशि, 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित जमा करने पर कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 को प्रदान कर दिया जाये।

(6) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इन्वाईस के अनुसार वसूल की गयी कर की धनराषि का कोई लाभ समाधान योजना अपनाने वाले ईंट निर्माताओं को देय धनराषि मंे नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर के रूप में जमा की गयी धनराषि, जिसमें अस्थायी कर निर्धारण के फलस्वरूप जमा कर की धनराषि भी सम्मिलित है, समाधान राषि में समायोजित की जायेगी परन्तु किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड अथवा ब्याज की धनराषि निर्धारित समाधान राषि में समायोजित नहीं की जायेगी।

(7) समाधान योजना अपनाने वाले ईंट भट्ठा व्यवसाइयों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा इन व्यापारियों द्वारा समाधान की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाईस जारी किया जायेगा।

(8) समाधान योजना अपनाने वाले ईंट भट्ठा व्यापारियों से समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इन्वाईस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य नहीं हो सकेगा, परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए उपयुक्त होगा कि आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होने के कारण

https://shasanadesh.up.nic.in

यदि कोई मांग सृजित होती है, तो उसे माफ करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय।

(9) कोई व्यापारी जिस भट्ठे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्ठे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्ठे से भी निर्मित ईंट की बिक्री करते हैं या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते हैं, तो अन्य भट्ठे पर निर्मित ईंट अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देय कर इस समाधान योजना से आच्छादित नहीं होगा।

(10) यदि किसी ईंट निर्माता द्वारा गत सीजन वर्शों में समाधान योजना अपनायी गयी थी, परन्तु समाधान राषि की सभी किष्तें जमा नहीं की गयी हैं, तो उक्त बकाया समाधान राषि ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण-पत्र के साथ ही इस सीजन वर्श के लिए दिये गये समाधान प्रार्थना-पत्र को समाधान राषि के साथ जमा करने पर स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(11) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नहीं हुआ हो, इस योजना के पात्र होंगे।

(12) इस योजना में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्य किसी प्राविधान की कोई भी अन्य रियायत अनुमन्य नहीं होगी।

(13) सीजन वर्श के दौरान नये खुदे हुए ईंट भट्ठों में फुॅकाई आरंभ होने की तिथि से 30 दिन के अंदर समाधान योजना हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(14) यदि सीजन वर्श के दौरान दिनंाक 31 मार्च, 2015 तक फुॅंकाई प्रारम्भ कर दी जाती है तो पूरे सीजन वर्श के लिए नियत समाधान राषि देय होगी, लेकिन यदि नये खुदे भट्ठे में फुॅंकाई दिनंाक 31 मार्च, 2015 के पष्चात की जाती है, तो समाधान राषि पूरे सीजन वर्श के लिए नियत समाधान राषि के 75 प्रतिषत के बराबर देय होगी, जिसे कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराया जायेगा।

https://snasanadesh.up.nic.in

(15) प्रार्थना-पत्र तथा षपथ-पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईंट भटठों आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच के समय ईंट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र तथा षपथ-पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निश्कर्श निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(16) एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात् इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

(17) समाधान प्रार्थना-पत्र, शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(18) विवादित बिन्दु पर कमिष्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 का निर्णय अंतिम होगा ।

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-क0नि0-1480/ग्यारह-2-2014-9(32)/09

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 03 नवम्बर, 2014

विषय: ईट भट्टा सीजन वर्ष 2014-2015 (दिनांक 01-10-2014 से दिनांक 30-09-2015 तक) हेतु ईंट निर्माता व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ईट निर्माता व्यापारियों के लिये ईट भट्टा सीजन वर्ष 2014-15 में दिनांक 1.10.2014 से 30.9.2015 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईटों, ईट भट्टों में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री पर और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन कोयले पर देय प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि लिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू की जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान संबंधी प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र गत वर्षों के अनुरूप कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा जारी किया जायेगा। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के

https://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार कमिश्नर, वाणिज्यकर समाधान राशि की गणना नान-हाईड्राट भट्टों व हाईड्राट भट्टों के लिये अलग-अलग करते हुए विस्तृत निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे।

2. इस संबंध में अग्रेतर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in